महत्वपूर्ण

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : C.-1220 /बा0वि0परि0/लेखा/2016–17 दिनांक 04 नवम्बर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः ई–पेमेन्ट में फेल ट्रांजेक्शन के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित वित्त(लेखा) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 12/2016/ए–1–727/दस–2016–10(38)/2014 दिनॉक 23.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा ई–पेमेन्ट में फेल ट्रांजेक्शन के निस्तारण के सम्बन्ध में संशोधित व्यवस्था लागू की गयी है।

उक्त शासनादेश की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दिनॉक 01 अक्टूबर, 2016 के उपरान्त ई–पेमेन्ट में फेल ट्रांजेक्शन के निस्तारण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक (वित्त)।

D:\CDS-GEN\shailendra\Final letters.docx

संख्या-12/ 2016/ ए-1-727/ दस-2016-10(38)/ 2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक - 23 अगस्त, 2016

विषय :- ई-पेमेण्ट में फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

ई-पेमेण्ट में फेल ट्रांजैक्शन के विरूद्ध बैंकों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है, परन्तु कभी-कभी बैंकों द्वारा ड्राफ्ट बना दिये जाने के उपरान्त भी ड्राफ्ट बैंक स्तर पर अथवा आहरण-वितरण अधिकारी स्तर पर पड़े रहते हैं और समय से ड्राफ्ट की धनराशि आय पक्ष के लेखाशीर्षक-0070 में जमा नहीं की जाती है तथा इसके अतिरिक्त बैंक से ड्राफ्ट बनवाने में भी आहरण वितरण अधिकारियों को एक लम्बी प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जिससे उन्हें कठिनाई होती है। कभी-कभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बैंक ड्राफ्ट की धनराशि आय पक्ष में जमा करने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा उपरोक्त धनराशि की मॉंग की जाती है और लाभार्थी को धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि आहरण वितरण अधिकारियों को पुनः बिल बनाने पर दोबारा बजट की आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार में ई-पेमेण्ट की व्यवस्था के अनुसार फेल ट्रांजैक्शन की समस्त धनराशि को लेखाशीर्षक-8658 00 102 25 में जमा कर दिया जाता है और जिस कारण से ट्रांजैक्शन फेल हुआ, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उस कारण के निवारण के उपरान्त पुन- बिल प्रेषित करके लेखाशीर्षक-8658 00 102 25 में जमा धनराशि से सम्बन्धित लाभार्थी को भुगतान कर दिया जाता है।

2- वर्तमान व्यवस्था में पेड चेक की धनराशि को लेखाशीर्षक-8670 00 104 में दर्शाया जा रहा है। महालेखाकार के सुझाव के अनुसार प्रत्येक टोकन के विरूद्ध भुगतानित एवं फेल ट्रांजैक्शन की दोनों धनराशि को लेखाशीर्षक-8670 00 104 में ही दर्शाये जाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार के एकाउण्ट्स से एक बार सम्पूर्ण धनराशि डेबिट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

होने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि को भुगतानित माना जायेगा। महालेखाकार के सुझाव एवं भारत सरकार में फेल ट्रांजैक्शन के निस्तारण की व्यवस्था को दृष्टिगत् रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक टोकन के विरूद्ध भुगतानित एवं फेल धनराशियों को अलग-अलग दर्शाये जाने हेतु लेखाशीर्षक-8670 00 104 में अलग-अलग उपशीर्ष खोल दिया जाय। भुगतान की जाने वाली समस्त धनराशियाँ जिसमें फेल्ड ट्रांजैक्शन से सम्बन्धित धनराशियाँ भी सम्मिलित होंगी, को भुगतान पक्ष के लेखाशीर्षक-8670 00 104 01 में एवं केवल फेल्ड ट्रांजैक्शन की धनराशि को रिसीट पक्ष के लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 में दर्शाया जायेगा। उपरोक्त दोनों हेड की बजट साहित्य में व्यवस्था अलग से की जायेगी।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था को प्रदेश के कोषागारों में लागू किये जाने हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(i) जिस टोकन नं0 में ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसका टोकन नम्बर लाभार्थी का नाम, आई0एफ0एस कोड, खाता संख्या तथा धनराशि का विवरण बैंक द्वारा कोषागारों को एवं आहरण-वितरण अधिकारी दोनों को हार्ड एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) कोषागारों को फेल ट्रांजैक्शन का विवरण साफ्ट कापी में बैंक द्वारा उपलब्ध होने पर कोषागार पैकेज में सीधे मेनू द्वारा फेल ट्रांजैक्शन का पूरा विवरण इण्टर कर लिया जायेगा।

(iii) बैंक के स्क्राल में फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि को रिसीट पक्ष के लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 में इण्ट्री की जायेगी, जिससे फेल ट्रांजैक्शन के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(iv) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जिन कारणों से ट्रांजैक्शन फेल हुआ उसका निराकरण होने के उपरान्त यदि लाभार्थी को धनराशि का भुगतान किया जाना हो तो सामान्य देयक प्रपत्र (105) पर अनुदान संख्या : पी.ए.सी. लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 में बिल प्रस्तुत कर कोषागारों से पुनः टोकन नम्बर प्राप्त करके लाभार्थी को ई-पेमेण्ट द्वारा भुगतान कर सकते हैं। आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा इस प्रकार प्रेषित बिल में बैंक द्वारा प्रेषित फेल ट्रांजैक्शन के लाभार्थी का पूरा विवरण जिसमें टोकन नम्बर, कार्यालय का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, खाता संख्या एवं फेल धनराशि का विवरण कार्यालय आदेश के रूप में संलग्न करना होगा। फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि का इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in में सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्षक में भुगतान किये जाने पर पुन: बजट की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 पब्लिक एकाउण्ट का लेखाशीर्षक है।

(v) महालेखाकार की आवश्यकतानुसार जब आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि के विरूद्ध बिल प्रस्तुत किया जायेगा तो उसमें लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 दर्शाया जायेगा एवं उसके ठीक नीचे उस कनेक्टिंग सर्विस हैड को भी लिखा जायेगा जिससे पूर्व बिल पारण के बाद ट्रांजैक्शन फेल हुआ था।

(vi) कोषागारों द्वारा फेल ट्रांजैक्शन के बिल आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर बिल की फीडिंग करते समय समस्त लाभार्थियों का विवरण अपने डाटा बैस से चेक किया जायेगा। यदि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बिल के साथ संलग्न कार्यालय-आदेश में अंकित लाभार्थी का विवरण कोषागार के डाटा में उपलब्ध विवरण से नहीं मिलता हो तो बिल का पारण नहीं किया जायेगा।

(vii) किसी वित्तीय वर्ष में कोई ट्रांजैक्शन फेल होने पर आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रपत्र-105 पर बिल प्रस्तुत कर अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु यदि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 30 अप्रैल तक फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि का भुगतान नहीं कराया जाता है, तो लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 में अवशेष धनराशि लैप्स मानी जायेगी। इस प्रकार लैप्स धनराशि की सूचना को पूर्व की भाँति महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिसमें यह स्पष्ट हो कि किस सर्विस हेड से यह धनराशि लैप्स हुयी है।

4- वर्तमान वित्तीय वर्ष में फेल ट्रांजैक्शन का भुगतान, वर्तमान वित्तीय वर्ष में लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 में जमा धनराशि से सुनिश्चित किया जायेगा, परन्तु इसके अगले नये वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में फेल ट्रांजैक्शन का भुगतान, नये वित्तीय वर्ष में लेखाशीर्षक-8670 00 104 02 में जमा धनराशि से सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यदि किसी पिछले वित्तीय वर्ष में फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि उपरोक्त प्रस्तर-3(vii)के अनुसार लैप्स हो जाने के उपरान्त भुगतान हेतु प्रस्तुत की जाती है, तो उसका भुगतान शासनादेश संख्या-ए-1-1638/ दस-99-10(28)/ 72, दिनांक 25 जून, 1999 के प्रावधानों के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलैक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- ई-पेमेण्ट में फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में उपरोक्त संशोधित व्यवस्था के अनुसार कोषागार साफ्टवेयर, कोषागार कैश बुक लिस्ट ऑफ पेमेण्ट एवं अन्य प्रपत्रों में वॉछित संशोधन निदेशक, कोषागार के परामर्श के अनुसार एन0आई0सी0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त व्यवस्था 01 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/ 2016/ ए-1-727(1)/ 2016-10(38)/ 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, कोषागार, 30प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001.
6- क्षेत्रीय महाप्रन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भवन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001.
7- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।